न्यायालय सिविल जज, जूनियर डिविजन, बांसगाँव, गोरखपुर

मूलवाद संख्या 14/2018 **JO Code- UP2438**

कमलेश शर्मा बनाम जीतन प्रसाद **CNR No- UPGK120000182018**

दिनांक 02-09-2020

पत्रावली वास्ते निस्तारण प्रार्थना पत्र कागज सं० 18ग अन्तर्गत धारा 151 जा०दि० नियत है। उक्त प्रार्थना पत्र पर प्रतिवादी के आपत्ति का अवसर समाप्त किया जा चुका है।

निस्तारण प्रार्थना पत्र कागज सं० 18ग

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र कागज सं० 18ग मय समर्थित शपथ पत्र 19ग वादी कमलेश द्वारा अन्तर्गत धारा 151 जा०दि० प्रस्तुत करते हुए यह कथन किया गया है कि उसके द्वारा प्रस्तुत दावा आराजी सं० 179 ग रकबा 0.530 हे०, आराजी सं० 171ड० रकबा 0.053 हे० व आराजी सं० 178 रकबा 0.040 हे० के बावत न्यायालय से स्थायी निषेधाज्ञा का आदेश पारित करने के आशय से लाया गया है। प्रतिवादीगण का विवादित संपत्ति से कोई वास्ता सरोकार नही है। कमीशन रिपोर्ट पत्रावली पर संलग्न है। प्रतिवादीगण अनाधिकृत बल प्रयोग कर विवादित भूमि में कब्जा कर नवनिर्माण करने के प्रयास में लगे हुए है। अगर वे अपने मकसद में सफल हो जाते है तो वादी अपूर्णनीय क्षति होने की संभावना है। प्रतिवादीगण को निर्माण कार्य से रोका जाना आवश्यक है। इस प्रकार वादी द्वारा प्रार्थना पत्र के माध्यम से प्रतिवादीगण के विरुद्ध विवादित आराजियात के बावत विवादित संपत्ति के संदर्भ में नवनिर्माण करने से रोके जाने की याचना किया गया है।

वादी के उक्त प्रार्थना पत्र पर विपक्षीगण को आपत्ति का अवसर दिया गया। विपक्षीगण अनुपस्थित रहे। विपक्षीगण के आपत्ति का अवसर समाप्त किया गया।

वादी अधिवक्ता को सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से दर्शित है कि वादी द्वारा प्रस्तुत वाद वादपत्र के अन्त में दर्शित विवादित संपत्ति अन्तर्गत आराजी सं० 179ग, 171ड० व 178 के बावत न्यायालय से स्थायी निषेधाज्ञा का आदेश पारित किये जाने के आशय से लाया गया है। दावा दाखिला के समय प्रतिवादीगण पर न्यायालय द्वारा नोटिस जारी किया गया। पत्रावली पर प्रतिवादी उपस्थित आये। पत्रावली की कार्यवाही प्रार्थना पत्र 7ग आपत्ति/निस्तारण में चल रही है। कमीशन रिपोर्ट कागज सं० 15ग, नक्शा 16ग व नजरी 17ग पत्रावली पर संलग्न है। प्रार्थना पत्र 7ग का निस्तारण लंबित रहते हुए वादी द्वारा धारा 151 जा०दि० के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रतिवादीगण को निर्माण कार्य से निषेधित किये जाने की याचना किया गया है।

महबूब अली बनाम सुरेश कुमार दीक्षित द्वितीय अपील 380/2014 निर्णय तिथि 16-03-2015 माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा पारित न्यायिक निर्णयज में यह अवधारित किया गया है कि धारा 151 जा० दि० के अन्तर्गत न्यायालय द्वारा अन्तरिम निषेधाज्ञा का आदेश पारित किया जा सकता है। परन्तु उक्त प्रावधान का उपयोग तभी संभव है जब किसी उपचार के लिए जा०दि० के अन्तर्गत

समुचित प्रावधान नही किया गया हो। उक्त न्याय निर्णयज से स्पष्ट है कि जा०दि० के अन्तर्गत जिन मामलो के उपचार के लिए प्रावधान दिया गया है, उनके संदर्भ में धारा 151 जा०दि० के अन्तर्गत न्यायालय द्वारा कोई आदेश पारित किया जाना समीचीन नही है। पत्रावली प्रार्थना पत्र 7ग निस्तारण के लिए लंबित है।

ऐसी स्थिति में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा पारित न्याय निर्णयज के आलोक में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्वीकार किये जाने का आधार पर्याप्त है।

आदेश

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 18ग खारिज किया जाता है। पत्रावली वास्ते निस्तारण प्रार्थना पत्र 7ग दिनांक 22–09–2020 को पेश हों।

सिविल जज (जू०डि०)
बांसगाँव, गोरखपुर